FORM No. III

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उप तहसीलदार मुकाम बीकानेर

सरकार ..... बनाम भंवरलाल पुत्र नरसीराम

किस्म मुकदमा एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 प्रकरण सं. 05 सन् 2017

~~फसल खरीफ/रबी~~ मकान/बाड़ा सम्वत् 2074

28.12.18	आज पत्रावली प्रस्तुत हुई अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित पत्रावली निर्णय पर ली गयी। निर्णय पटवारी हल्का कल्याणसर बड़ा की रिपोर्ट पर ग्राम कल्याणसर बड़ा में राजकीय भूमि आराजीराज पर निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन पर काश्तकार ने जबाव प्रस्तुत किया गया/प्रस्तुत करने में असफल रहा। सम्वत् 2074 में फसल रबी/खरीफ में ग्राम कल्याणसर बड़ा में स्थित खसरा नम्बर 28 किस्म बाड़ा 2 तादादी ... बीघा .... बिस्वा आराजी राज भूमि पर ~~जिन्स~~ मकान/बाड़ा बनाहुए की ~~फसल काश्त~~ कर श्री भंवरलाल ..... पुत्र नरसीराम जाति मेघवाल निवासी कल्याणसर बड़ा ने अतिचार किया। अप्रार्थी अपने इस अतिचार करने का विधीसम्मत अधिकार प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः श्री भंवरलाल पुत्र नरसीराम जाति मेघवाल निवासी कल्याणसर बड़ा को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। ग्राम ..... में स्थित खसरा नम्बर ..... किस्म .... तादादी ..... बीघा ..... बिस्वा आराजी राज भूमि पर जिन्स..... की फसल को राजकीय फसल घोषित कर निरीक्षक भू अभिलेख ..... को निलामी हेतु आदेशित किया जाता है/यदि फसल उठा ली गयी है तो कुन्ता नामा कर राशि वसूल कर खजाने राज जमा करवायी जावे।	

Scanned by CamScanner